दिनांक - 20/01/2024 को दून पुलिस ने किया फर्जी रजिस्ट्री/दस्तावेजों के आधार पर किसी अन्य की भूमि को अपना दर्शाकर उपहार पत्र के माध्यम से किसी अन्य का हस्तांतरित करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार।

वादी संदीप श्रीवास्तव, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0: 413/23 धारा: 420,467, 468, 470, 120 बी भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें अभियुक्त स्वर्ण सिंह, पुत्र स्व0 सोहन सिंह निवासी: मनवापट्टी थाना: शीषगढ जनपद बरेली उ0प्र0 द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुए राजेन्द्र नगर कोलागढ स्थित एक भूमि को उसके मूल मालिक श्री प्यारे लाल कौल पुत्र गोपीनाथ कौल, निवासी 525 राजेन्द्र नगर देहरादून से 1989 में क्रय करना दर्शित किया गया था तथा उक्त भूमि को उपहार पत्र के माध्यम से अन्य लोगों को हस्तांतरित किया गया तथा रजिस्ट्रार कार्यालय के अभिलेखों में उक्त भूमि के मूल दस्तावेजों के स्थान पर उक्त कूटरचित दस्तावेजों को लगवाते हुए उसके आधार पर मां0 न्यायालय तथा नगर निगम में मालिकाना हक का वाद दायर किया गया था। प्रकरण में थाना कोतवाली पर दर्ज अभियोग की विवेचना के दौरान थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उक्त भूमि को उपहार पत्र के माध्यम से आगे हस्तान्तरित करने वाले अभियुक्त स्वर्ण सिंह को दिनांक: 19-01-24 को बरेली उ0प्र0 से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में उससे अभियोग से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिसके सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त :-

स्वर्ण सिंह, पुत्र स्व0 सोहन सिंह, निवासी मनवापट्टी, थाना- शीषगढ जनपद बरेली, उ0प्र0